[3/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 2603]

परिशिष्ट "एक"

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2603 द्वारा श्री प्रताप ग्रेवाल, माननीय विधायक सरदारपुर द्वारा के प्रश्नांश (ख) से संबंधित वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक मंदिर जीर्णोद्धार की जानकारी

क्र	वर्ष	मंदिर का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2017-18	श्री राम मंदिर	गोंदीखेडा	सरदारपुर	21.00 लाख	00	कार्य पूर्ण
2	2018-19	श्री राम मंदिर	पचरूण्डी	सरदारपुर	05.00 लाख	05.00 लाख	कार्य पूर्ण
3	2019-20	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	--
4	2020-21	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	--

परिशिष्ट "दो"

मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक् न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल दिनांक 04/10/2018

क्रमांक एफ 7-13/2018/छः राज्य शासन, एतद् द्वारा निर्णय लिया है कि ज्ञाप क्रमांक एफ 7-23/2002/छै: दिनांक 15/02/2013 में शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों के मानदेय में तीन गुना वृद्धि कर निम्नानुसार भुगतान स्वीकृत किया जाए :-

1(1) जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है उन मंदिरों के पुजारियों को रूपये 3000/- (तीन हजार) प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए।

1(2) जिन मंदिरों के पास पांच एकड़ तक कृषि भूमि है उन मंदिरों के पुजारियों को रूपये 2100/- (दो हजार एक सौ) प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए।

1(3) जिन मंदिरों के पास पांच एकड से 10 एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिर के पुजारियों को रूपये 1560/- (एक हजार पांच सौ साठ) प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए।

2/ जिन शासन संधारित मंदिरों के पास 10 एकड़ तक कृषि भूमि संलग्न है, इससे होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिये कर सकेंगे। इसी प्रकार ऐसे मंदिर जिनमें 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि संलग्न है, ऐसी कृषि भूमियों की नीलामी जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में पुजारी स्वयं कर सकेंगे। इससे होने वाली आय मंदिर के खाते में जमा करायी जावेगी।

3/ इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 7-8/छ:/01/64 दिनांक 27 जनवरी 2001 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों एवं कथावाचकों की नियुक्ति, पृथक्करण तथा उनके नामांतरण के अधिकार ग्राम सभाओं को प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश को संशोधन करते हुये पुजारियों की नियुक्ति पृथककरण तथा उनके नामांतरण के अधिकार से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किये जाए।

4/ शासन संधारित मंदिरो के पुजारियों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में तीर्थ यात्रा का लाभ दिया जाए। जिसमें आयु सीमा का बंधन नहीं रखा जाए।

उक्त के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जाऐंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नागेन्द्र प्रसाद मिश्र)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

पृ.क्र. एफ 3-13/2018/छ: भोपाल दिनांक 04/10/2018

प्रतिलिपि :-

1. शासन के समस्त विभाग।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त संभागायुक्त।
5. समस्त कलेक्टर्स।
6. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।
7. निज सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
8. मुख्य सचिव के स्टॉफ अधिकारी।
9. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
10. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ।
11. गार्ड फाईल।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग